

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा

पत्र सं. 653(1) एस.जी.एस.वाई/2007-08

दिनांक 6 .09.07

आदेश

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.09.07 के क्रम में नवचयनित स्वैचछिक संस्थाओं को निम्नानुसार विकास खण्ड समूह गठन व विकास हेतु आवंटित किया जाता है।

क्रम सं.	स्वैचछिक संस्था का नाम	विकास खण्ड
1	विकलांग एवं असहाय सेवा संस्थान ग्राम व पास्ट राजापुर परसौरा	मुजेहना
2	वरदान समिति मारुति सदन, गोण्डा।	झंझरी
3	मानव कल्याण सेवाश्रम समिति ग्राम गौनरिया, पो. कमरांवा, गोण्डा	पंडरी कृपाल
4	जय हनुमन्त संस्कृत महाविद्यालय समिति, हनुमन्त नगर परसदा, गोण्डा।	बेलसर
5	जन कल्याण परिषद (उ.प्र.) प्रधान कार्यालय किदवई नगर, कानुपुर - 2080। शाखा कार्यालय कर्नलगंज जनपद-गोण्डा।	कटरा बाजार, करनैलगंज
6	अग्नि पथ सेवा समिति सुन्दर काम्पलेक्स अस्पताल चौराहा बहराइच।	बभनाजोत
7	सबेरा कल्याण समिति मों. कटहरिया भरत मिलाप चौराहा, गोण्डा।	वजीरगंज
8	जन शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति, रूपईडीह, जनपद-गोण्डा।	इटियाथोक
9	महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान रामपुर टेंगरहा तरबगंज, गोण्डा।	तरबगंज, परसपुर
10	अवध ग्राम्य विकास संस्थान अशोकपुर, गोण्डा।	नवाबगंज
11	बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर दलित जन एवं महिला उत्थान समिति पटेलनगर गोण्डा।	झंझरी
12	रामा ग्रामोद्योग सेवा समिति गोली घुसवा मसकनावं, गोण्डा।	छपिया
13	नवचेतना महिला कल्याण समिति मनकापुर, गोण्डा।	मनकापुर
14	मानव कल्याण समिति जनपद सन्त कबीर नगर शाखा कार्यालय पोर्टरगंज, गोण्डा।	इटियाथोक
15	डा. भीमराव अम्बेडकर ग्रामोद्योग एवं प्रशिक्षण संवा संस्थान ग्रा. मोहम्मदपुर, पो. कौड़हा हलधरमऊ, गोण्डा।	हलधरमऊ
16	ग्रामीण विकास समिति, चारू, छपिया	मनकापुर
17	साकेत ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान मसकनांवा, गोण्डा	बभनाजोत, मनकापुर, छपिया
18	ग्रामोद्योगिक विकास प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, गोण्डा	मुजेहना, नवाबगंज, वजीरगंज
19	ग्राम्य शिक्षा विकास एवं मानव कल्याण संस्थान, गोण्डा	रूपईडीह, बेलसर, इटियाथोक, पंडरी कृपाल
20	शहीद भगत सिंह बाल विद्या मन्दिर समिति करनैलगंज, गोण्डा	हलधरमऊ

सम्बन्धित नव चयनित संस्थायें सम्बन्धित विकास खण्डों में जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक समूह नहीं बने है में नये समूहों को बनाये जाने का कार्य करेगी। मासान्त जनवरी 2008 तक 100-100 समूह बना देने पर ही इनका अन्तिम चयन किया जायेगा। क्रमांक 16 से 20 तक अंकित संस्थायें अपने आवंटित विकास खण्डों में वर्ष के अन्त तक 100-100 समूहों का गठन व कम से कम 10-10 समूहों का ऋण वितरण सुनिश्चित करायेगी।

परियोजना निदेशक
डी.आर.डी.ए.
गोण्डा

पत्र सं. 853(1) एस.जी.एस.वाई/2007-08

दिनांक 6.09.07

प्रतिलिपि :

1. सम्बन्धित संस्थाओं को अनुपालनार्थ।
2. सम्बन्धित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस आशय से कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक समूह नहीं बने है उन ग्राम पंचायतों को समूह निर्माण हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को आवंटित कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगें।

परियोजना निदेशक
डी.आर.डी.ए.
गोण्डा